(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खंड - I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्तूबर, 2010

विषय : यार्न, फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 01 जनवरी 2011 से बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2) सरकार द्वारा यार्न, फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों को दिनांक 09.11.2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1.1.2005 से एक वर्ष के लिए लागू किया गया था तथा तत्पश्चात समय-समय पर इन प्रावधानों को बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ाया गया था ।

2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फब्रिक एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2011 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगीं।

(ज.प्र. दत्त)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा